प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, कानपुर

पृ0सं0–15987-995 / ई–117–छै–13(JEECUP-II) कानपुरः दिनांक 10/6 2025

सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–346 / संप्रपप / परी0अनु0–(एसओपी) / 2025 दिनांक 06.06.2025 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–3,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. वैयक्तिक सहायक महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, लखनऊ को महानिदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि परिषद की ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु दिशा–निर्देशों (SOP) को काउन्सिलिंग प्रकिया के साथ सम्मिलित कराते हुए ऑनलाइन काउन्सिलिंग सम्पन्न कराने हेतु अपने क्षेत्रान्तर्गत आने वाली समस्त राजकीय, अनुदानित एवं पी0पी0पी0 मोड की पालीटेक्निक संस्थाओं को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय, अनुदानित एवं पी0पी0पी0 पालीटेक्निक संस्थान, उत्तर प्रदेश को इस आशय से कि संदर्भित पत्र में ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों (SOP) को काउन्सिलिंग प्रकिया के साथ सम्मिलित कराते हुए ऑनलाइन काउन्सिलिंग सम्पन्न किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

(कमलेश मणि)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक, प्राविधिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश।

151 प्रेषक, **ईमेल द्वारा**

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0,
कानपुर।

संख्या : 346 /संप्रपप/परी0अनु0–(एसओपी)/2025, दिनांक : 06 जून, 2025

विषय : **संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वर्ष–2025 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु तैयार SoP का प्रेषण।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वर्ष–2025 में आयोजित करायी जाने वाली परिषद की ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु दिशा–निर्देश (**SoP**) तैयार कर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

तद्क्रम में संलग्न काउन्सिलिंग हेतु दिशा–निर्देश (**SoP**) एवं प्रपत्रों को प्रदेश में स्थापित सहायता केन्द्रों को इस आशय से प्रेषित किया जाना है कि उक्त दिशा–निर्देश (**SoP**) को काउन्सिलिंग प्रक्रिया के साथ सम्मिलित करते हुए परिषद की आगामी ऑनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न करायी जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त राजकीय, अनुदानित एवं पी0पी0पी0 मोड की पालीटेक्निक संस्थाओं को उक्त दिशा–निर्देश (**SoP**) को काउन्सिलिंग प्रक्रिया के साथ सम्मिलित कराते हुए ऑनलाइन काउन्सिलिंग सम्पन्न कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,
(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन/निदेशक, संप्रपप।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

ईमेल द्वारा

151

प्रेषक,

सचिव,
संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0,
कानपुर।

संख्या : 346 /संप्रपप/परी0अनु0-(एसओपी)/2025,   दिनांक : 06 जून, 2025

विषय : संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वर्ष-2025 की ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु तैयार SoP का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वर्ष-2025 में आयोजित करायी जाने वाली परिषद की ऑनलाइन काउन्सिलिंग हेतु दिशा-निर्देश (**SoP**) तैयार कर संलग्न प्रेषित किया जा रहा है।

तद्क्रम में संलग्न काउन्सिलिंग हेतु दिशा-निर्देश (**SoP**) एवं प्रपत्रों को प्रदेश में स्थापित सहायता केन्द्रों को इस आशय से प्रेषित किया जाना है कि उक्त दिशा-निर्देश (**SoP**) को काउन्सिलिंग प्रक्रिया के साथ सम्मिलित करते हुए परिषद की आगामी ऑनलाइन काउन्सिलिंग प्रक्रिया सम्पन्न करायी जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि समस्त राजकीय, अनुदानित एवं पी0पी0पी0 मोड की पालीटेक्निक संस्थाओं को उक्त दिशा-निर्देश (**SoP**) को काउन्सिलिंग प्रक्रिया के साथ सम्मिलित कराते हुए ऑनलाइन काउन्सिलिंग सम्पन्न कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोक्त।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :-

1. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2. निजी सचिव, विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन/निदेशक, संप्रपप।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

(संजीव कुमार सिंह)
सचिव

प्रपत्र–1

काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की कालिंग रिपोर्ट

संस्था का नाम व बी0टी0ई0 कोड ....

क्रं0	काउन्सिलिंग का चरण	कुल आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या जिनसे सम्पर्क किया जाना है	ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिनको काउन्सिलिंग द्वारा संस्था आवंटित हुई है	ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिनको काउन्सिलिंग द्वारा संस्था आवंटित नहीं हुई है	कालिंग द्वारा सहायता केन्द्र पर च्वाइस फिलिंग करवाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या

प्रपत्र–2

संस्था आवंटन के पश्चात काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की प्रतिदिन की कॉलिंग रिपोर्ट

संस्था का नाम व बी0टी0ई0 कोड ....

क्र0	दिनांक	काउन्सिलिंग का चरण	कुल आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या जिनसे सम्पर्क किया जाना है	आवंटित संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थियों की संख्या	संस्था में प्रवेश न लेने वाले अभ्यर्थियों की संख्या	जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया उसके कारण	जिन अभ्यर्थियों से सम्पर्क नहीं हो पाया उनकी संख्या

प्रपत्र–3

संस्थान में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं की सूचना

संस्था का नाम व बी0टी0ई0 कोड ....

क्र0	छात्र/छात्रा का नाम	छात्र/छात्रा का मोबाइल नम्बर	ग्राम	थाना	ब्लाक	जनपद

संयुक्त प्रवेश परीक्षा (पालीटेक्निक)–2025 की आनलाइन काउन्सिलिंग हेतु दिशा–निर्देश (SoP)

वर्ष–2024 की प्रवेश परीक्षा में कुल 270785 प्रवेश क्षमता के विरूद्ध कुल 4,12,759 अभ्यर्थियों के आनलाइन पंजीकरण प्राप्त हुए, जिसके सापेक्ष 3,04,382 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए तथा काउन्सिलिंग हेतु 3,04,329 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। उक्त काउन्सिलिंग के माध्यम से 1,15,444 छात्रों द्वारा प्रवेश लिये गये जो कि प्रवेश क्षमता के सापेक्ष 42 प्रतिशत है। प्रवेश का प्रतिशत कम होने के कारण विभिन्न स्रोतों से ज्ञात हुआ है कि छात्र/छात्राओं में समयान्तर्गत काउन्सिलिंग की जानकारी, प्रदेश में चल रहे संस्थाओं एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता एवं रिक्त सीटों की जानकारी का अभाव तथा यथा– आवंटित संस्था से दूरी, मनचाही संस्था न मिलना, तकनीकी अज्ञानता एवं आर्थिक समस्या का मुख्य कारण रहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में 147 राजकीय पालीटेक्निक, 18 पी0पी0पी0, 19 अनुदानित एवं 2552 निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाएं संचालित हैं। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आगामी वर्षों हेतु राजकीय, पी0पी0पी0, अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पालीटेक्निक संस्थाओं की सीटों को भरने हेतु काउन्सिलिंग/जानकारी प्रदान करने के लिए एक विस्तृत कार्य–योजना प्रस्तुत की जा रही है। इस कार्य– योजना में समस्त पालीटेक्निक स्टाफ की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है, जिसे अधिक से अधिक संख्या में छात्र/छात्रायें प्रवेश ले सकें।

काउन्सिलिंग प्रक्रिया :

(1) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष–2025 की कम्प्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा के परीक्षा परिणाम की घोषणा के साथ अर्ह अभ्यर्थी के रिजल्ट कार्ड को डाउनलोड करने की व्यवस्था होगी,

जिसमें अभ्यर्थी को काउन्सिलिंग प्रक्रिया की जानकारी होगी। प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं को सहायता केन्द्र के रूप में स्थापित किया गया है। अभ्यर्थी च्वाइस फिलिंग हेतु राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में उपस्थित होकर च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करा सकता है।

(2) अभ्यर्थी अपनी लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड तथा मोबाइल न0 को पूरी काउन्सिलिंग अवधि में (जो काउन्सिलिंग रजिस्ट्रेशन में दें) क्रियाशील रखें। सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं ओ0टी0पी0 मोबाइल न0 पर प्रेषित होगी। अभ्यर्थियों की काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त ओ0टी0पी0, आवंटन–पत्र, पासवर्ड, परीक्षा परिणाम इत्यादि सूचनाएं एवं अभिलेख **संदेश ऐप (Sandes App)** पर भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो कि स्मार्ट फोन रखते हैं, भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित इस ऐप को **android** उपयोगकर्ता **Google Playstore** तथा **iOS** उपयोगकर्ता **App store** से डाउनलोड कर प्रयोग कर सकते हैं।

(3) काउन्सिलिंग के समस्त चरण आनलाइन होंगे। काउन्सिलिंग के समस्त चरणों को प्रक्रिया के आधार पर निम्नांकित को दो भागों में विभक्त किया गया है :–

(A) मुख्य काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों अथवा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य के मूल निवासी है, किन्तु उन्होनें अर्हकारी परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे केन्द्र के कर्मचारी जिनका कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थित हो, की सन्तानें),

(B) विशेष काउन्सिलिंग (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित उत्तर प्रदेश राज्य के अभ्यर्थियों के रूप में चिन्हित उक्त बिन्दु पर वर्णित अभ्यर्थियों के साथ–साथ प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अन्य राज्य के अभ्यर्थियों हेतु),

मुख्य काउन्सिलिंग प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण, विशेष काउन्सिलिंग चतुर्थ चरण से अन्तिम चरण तक पूर्ण की जायेगी।

(i) काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण की जाने वाली प्रक्रियाओं यथा संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प चयन, अभिलेख सत्यापन, शुल्क जमा करना, काउन्सिलिंग चरणों के लिए अभ्यर्थन, आंवटित सीट निरस्तीकरण के नियमों, प्रत्येक चरण हेतु अवधि, काउन्सिलिंग प्रक्रिया से विद्ड्रॉल, संस्था में प्रवेशित छात्र/छात्राओं की रिर्पोटिंग आदि का निर्धारण, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

(ii) राजकीय, अनुदानित, पी0पी0पी0 एवं निजी संस्थाओं में सीट आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियो को सीट एक्सेप्टेंस शुल्क रू0 3,000/– एवं काउन्सिलिंग शुल्क रू0 250/– अर्थात कुल रू0 3,250/– ऑनलाइन जमा करते हुए सहायता केन्द्रों के माध्यम से अभिलेख सत्यापित कराकर शेष प्रक्रिया काउन्सिलिंग शिड्यूल के अनुसार निर्धारित तिथियों पर पूर्ण करना होगा, तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा औपबन्धिक एडमिशन पत्र डाउनलोड करना होगा।

(4) काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण के अर्ह अभ्यर्थियों द्वारा सहायता केन्द्र में जाकर अथवा पूर्व व्यवस्था के अनुसार काउन्सिलिंग की वेबसाइट पर यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के पश्चात अभ्यर्थी अपनी संस्था एवं पाठ्यक्रम का विकल्प उस चरण

की निर्धारित अन्तिम तिथि तक सहायता केन्द्र पर जमा कर सकता है। अभ्यर्थी असीमित विकल्प भर सकता है। जिस Window में अभ्यर्थी द्वारा संस्था एवं पाठ्यक्रम के विकल्प भरने की सुविधा होगी, वहीं पर उन विकल्पों को लॉक करने का विकल्प होगा। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिये गये विकल्पों को निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व लॉक कर दें, अन्यथा की स्थिति में विकल्प आटो लॉक हो जायेंगे।

(5) काउन्सिलिंग के प्रत्येक चरण के प्रथम दो दिवसों के उपरान्त सीट आवंटन का रिजल्ट वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। काउन्सिलिंग के शिड्यूल के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा सीट एक्सेपटेन्स फीस जमा करते हुए जनपदवार बने 75 सहायता केन्द्रों पर मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।

(6) जो अभ्यर्थी उनको आवंटित सीट की निर्धारित शुल्क/सिक्योरिटी डिपाजिट तय समय–सीमा में नहीं जमा करेंगे, ऐसे अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन नहीं करा पायेंगे।

(7) काउन्सिलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम आवंटित संस्था व ब्रांच में प्रवेश लिया जा सकेगा।

<u>संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्य :</u>

(1) काउन्सिलिंग शिड्यूल जारी करना।

(2) काउन्सिलिंग हेतु विभिन्न समाचार–पत्रों एवं रेडियो चैनलों के माध्यम से प्रचार–प्रसार किया जाना।

(3) काउन्सिलिंग के दिवसों में रियल टाईम रिक्त सीटों का विवरण प्रेषित कराना।

(4) काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मोबाइल नम्बर, प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी को जनपदवार उपलब्ध कराना।

(5) काउन्सिलिंग आयोजन के दिवसों में काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुर्सी, टेन्ट, पीने के पानी एवं वाहन की व्यवस्था की जानी है, जिसका व्ययभार संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद वहन करेगा।

<u>संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के कार्य एवं दायित्व :</u>

1. अपने जोन से सम्बन्धित समस्त प्रधानाचार्यों से बैठक करते हुए काउन्सिलिंग सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया समय से पूर्ण करायें एवं समय–समय पर प्रधानाचार्यों को निर्देशित करते रहें, जिससे काउन्सिलिंग प्रक्रिया निर्विघ्न एवं सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके।

2. काउन्सिलिंग अवधि में समस्त क्षेत्रों की प्रतिदिन मॉनिटरिंग एवं रिव्यू किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा कृत कार्यवाही से उच्चाधिकारियों को अवगत करायेंगे। यदि किसी केन्द्र पर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी रिपोर्ट संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, कानपुर को उपलब्ध करायी जायेगी।

<u>संस्था स्तर पर किये जाने वाले कार्य :</u>

<u>काउन्सिलिंग सेन्टर एवं गाईडेन्स सेल की स्थापना :</u>

काउन्टर नं0–1 (पूछताछ एवं उद्घोषणा) :

(1) काउन्सलर (विभागाध्यक्ष/प्रवक्ता) – 01

(2) तृतीय श्रेणी कार्मिक – 01

(3) चतुर्थ श्रेणी कार्मिक – 01

काउन्टर नं0–2 (च्वाइस फिलिंग) :

(1) काउन्सलर (व्याख्याता / कम्प्यूटर प्रोग्रामर)	–	05
(2) चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	–	01
(3) सुरक्षा, अनुशासन एवं जल आपूर्ति व्यवस्था	–	01 तृतीय एवं 01 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक

काउन्टर नं0–3 (डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन) :

(1) काउन्सलर (व्याख्याता / कम्प्यूटर प्रोग्रामर)	–	02
(2) तृतीय श्रेणी कार्मिक	–	02
(3) चतुर्थ श्रेणी कार्मिक	–	01

प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :

(1) प्रधानाचार्य / नोडल अधिकारी अपनी देख–रेख में जनपद के समस्त अभ्यर्थियों से सम्पर्क कराकर काउन्सिलिंग प्रक्रिया में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को प्रतिभाग करायेंगे।

(2) संस्था के मुख्य गेट पर काउन्सिलिंग प्रक्रिया का बैनर लगाया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों के लिए काउन्सिलिंग की निःशुल्क व्यवस्था संस्था में उपलब्ध है, जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थी काउन्सिलिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करेंगे।

(3) नोडल संस्था में कम से कम 05 कम्प्यूटर तथा आवश्यकता पड़ने पर उससे अधिक कम्प्यूटर एवं प्रिंटर उपलब्ध कराते हुए अभ्यर्थियों की च्वाइस फिलिंग हेतु च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करायी जाये।

(4) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले समस्त अभ्यर्थियों का मोबाइल नम्बर को संस्था के समस्त स्टाफ में बराबर से वितरित कर काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्र/छात्राओं को काउन्सिलिंग शिड्यूल एवं अन्य सूचनायें प्राप्त करायी जानी है। नोडल संस्थाओं के अतिरिक्त सभी राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं में भी काउन्सिलिंग प्रक्रिया में सहयोग प्रदान करने एवं च्वाइस फिलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

नोट :– महिला अभ्यर्थियों का मोबाइल नम्बर केवल महिला कार्मिकों को ही उपलब्ध कराया जाये तथा किसी भी परिस्थिति में पुरूष कार्मिकों को महिला अभ्यर्थियों का मोबाइल नम्बर हस्तगत न किया जाये, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्रधानाचार्य उत्तरदायी होंगे।

(5) प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी को यह सुनिश्चित कराना होगा कि कॉलिंग के उपरान्त परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध करायी जाये, जिससे पुनः कॉलिंग की रणनीति तैयार की जा सके तथा इच्छुक छात्रों को उनकी इच्छानुसार संस्था एवं पाठ्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सके।

(6) संस्थावार कालिंग रिपोर्ट एक्सेल शीट प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें काउन्सिलिंग का चरण, काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित अभ्यर्थियों की संख्या, काउन्सिलिंग में सम्मिलित हुए परन्तु संस्था आवंटित नहीं हुई, उनकी संख्या एवं कालिंग द्वारा सहायता केन्द्र पर च्वाइस फिलिंग करवाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या **(प्रपत्र–1 पर)** प्रविष्ट की जानी है।

(7) संस्था आवंटन के पश्चात कितने अभ्यर्थियों ने प्रवेश ले लिया है, कितने अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश नहीं लिया गया है तथा कितने अभ्यर्थियों से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है, इस सूचना की प्रतिदिन की संयुक्त कालिंग रिपोर्ट प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी द्वारा **(प्रपत्र–2 पर)** परिषद कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी है।

(8) संस्थावार सभी संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के नाम, मोबाइल नम्बर, ग्राम, थाना, ब्लाक एवं जनपद आदि सूचनाएं **(प्रपत्र–3 पर)** नोडल संस्था द्वारा एकत्रित की जानी है तथा उसकी रिपोर्ट परिषद कार्यालय को प्रेषित की जानी है।

(9) अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार उनके निवास स्थान से काउन्सिलिंग सेन्टर तक लाने की व्यवस्था (विशेष परिस्थितियों में) की जायेगी।

(10) छात्र/छात्राओं की काउन्सिलिंग के दौरान विभिन्न सूचनाओं के माध्यम से (समाचार–पत्र/रेडियो चैनल) समय–समय पर सूचना प्रेषित की जानी है, जिससे छात्रों को आयोजित हेल्प सेन्टर की जानकारी का अभाव न रहे। संस्थाओं की वेबसाइट एवं सोशल मीडिया एकाउन्ट्स पर भी काउन्सिलिंग आयोजन के बारे में प्रदर्शित किया जाना है।

(11) संस्था प्रातः 9:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक अथवा अभ्यर्थियों की उपस्थिति रहने की दशा में जब तक समस्त अभ्यर्थियों की च्वाइस फिलिंग सम्पन्न न हो जाये, काउन्सिलिंग सेन्टर खुले रहेंगे।

(12) काउन्सिलिंग प्रक्रियाधीन तिथियों में यदि कोई राजकीय अवकाश पड़ता है तो भी अभ्यर्थियों के हित में काउन्सिंलग कार्य पूर्व की भाँति चलता रहेगा, जिसका समस्त दायित्व संस्था प्रधानाचार्य का होगा।

(13) किसी भी दशा में राजकीय एवं अनुदानित पालीटेक्निक संस्थाओं से अभ्यर्थियों को यह कहकर मना न किया जाये कि यहाँ काउन्सिलिंग की व्यवस्था नहीं है, ऐसे तथ्य यदि प्रकाश में आते हैं तो संस्था/प्रधानाचार्य की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जायेगी।

(14) यदि किसी संस्था से अभ्यर्थियों द्वारा असहयोग किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो उसकी पुष्टि कराते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

<u>विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं के कार्य एवं दायित्व :</u>

(1) संस्था प्रधानाचार्य द्वारा दिये गये काउन्सिलिंग के लिए अर्ह अभ्यर्थियों की सूची से अभ्यर्थियों के मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क स्थापित कर काउन्सिलिंग शिड्यूल एवं हेल्पडेस्क की सूचना उपलब्ध कराया जाना।

(2) समस्त कॉलिंग रिपोर्ट को प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराया जाना।

(3) जिन विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं की ड्यूटी **काउन्टर नं0–1 (पूछताछ एवं उद्‌घोषणा)** में लगायी जायेगी, उनका दायित्व रहेगा कि वे समस्त अभ्यर्थियों की जिज्ञासा/आपत्तियों का ससमय निदान करेंगे एवं ऐसी कोई समस्या जिसमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद से सहायता प्राप्त करनी है तो वे परिषद से समन्वय स्थापित कर अभ्यर्थियों की

जिज्ञासा/समस्याओं का निराकरण करेंगे। च्वाइस फिलिंग के पश्चात अगली प्रक्रिया से अभ्यर्थियों को अवगत करा दिया जाये।

(4) जिन विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं की ड्यूटी **काउन्टर नं0–2 (च्वाइस फिलिंग)** में लगायी जायेगी, उनका दायित्व रहेगा कि वे समस्त अभ्यर्थियों को उनकी इच्छानुसार संस्था एवं पाठ्यक्रम तथा रिक्त सीटों की सूचना देते हुए उनका लॉगिन आई0डी0, पासवर्ड लेकर च्वाइस फिलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करायेंगे।

(5) जिन विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं की ड्यूटी **काउन्टर नं0–3 (डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन)** में लगायी जायेगी, उनका दायित्व रहेगा कि वे अभिलेखों की जांच करेंगे। काउन्सलर द्वारा मूल रूप से निम्न अभिलेखों की जांच की जायेगी। अभ्यर्थी को सभी प्रमाण–पत्र मूल रूप में उपलब्ध कराने होंगे :–

(a) जन्मतिथि : जांच लिया जाये कि अभ्यर्थी की आयु 01.07.2025 को 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

(b) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र व प्रमाण–पत्र।

(c) आरक्षण प्रमाण–पत्र – वर्ग, उपवर्ग (यदि लागू हो)।

(d) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का प्रवेश–पत्र।

(e) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का अंक–पत्र।

(f) संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद का आवंटन–पत्र।

(g) दो फोटोग्राफ।

(h) सभी प्रमाण–पत्रों की स्व–प्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट।

नोट :– वर्ष–2025 के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अंक–पत्र की मूल प्रति अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध न करा पाने की स्थिति में इसे इन्टरनेट पर देख कर पुष्टि कर ली जाये। उपरोक्त अभिलेखों की जांच संस्था द्वारा करायी जायेगी, किसी संदेह की स्थिति में प्रमाण–पत्रों की आनलाइन जांच की जा सकती है। जांच के पश्चात काउन्सलर द्वारा अभ्यर्थियों को Provisional Admission Letter उपलब्ध कराया जायेगा।

संस्थाओं में अध्ययनरत छात्रों की सहभागिता :

(1) संस्था के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में अध्ययनरत 10 छात्रों का समूह बनाकर प्रत्येक काउन्टर पर ड्यूटी पालीवार निर्धारित की जाये।

(2) संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों की सहायता करेंगे।

विकलाँग एवं अक्षम अभ्यर्थियों हेतु विशेष सुविधाएं :

विकलांग अभ्यर्थियों हेतु एक विशिष्ट संस्थान "डा0 अम्बेडकर इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नॉलोजी फार हैण्डीकैप्ड, उ0प्र0, कानपुर" में स्थापित है। इस संस्थान में काउन्सिलिंग की सुविधा एवं डाक्यूमेन्ट वेरीफिकेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इस संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, रु0 250.00 प्रतिमाह की भोज्यवृति तथा संस्था की निःशुल्क यूनीफार्म भी प्रदान की जाती है। पात्र अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियमानुसार छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

उक्त कार्य–योजना का उद्देश्य संस्थाओं में शत–प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित कराना है। इसमें सभी स्टैक होल्डर (हित धारक) से अपेक्षा है कि

दिये गये कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं लगन से सम्पादित करायें, जिससे विभाग की प्रगति सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त प्रक्रिया की कार्यवाही तत्समय निर्गत शासनादेश के अनुसार ही सम्पादित की जायेगी।